(17)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2012/चैत्र 9, 1934
No. 76] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2012/CHAITRA 9, 1934

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2012

सं. एल-1/44/2010-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा हानियों की भागीदारी) विनियम, 2010 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन :

(1) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड के उप-खंड (ग) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उत्पादन यूनिट की अतिभार क्षमता का उपयोग अनुमोदित इंजेक्शन की संगणना के लिए नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां सीटीयू द्वारा दीर्घ-कालिक पहुंच (एलटीए) प्रदान की गई हो, वहां एलटीए आंकड़े, तथा जहां सीटीयू द्वारा दीर्घ-कालिक पहुंच प्रदान नहीं की गई हो, वहां उत्पादन यूनिट की संस्थापित क्षमता सहायक खपत को छोड़कर, अनुमोदित इंजेक्शन की संगणना के प्रयोजन के लिए ली जाएगी ।"

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (च) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि उस उत्पादन यूनिट की, जिसमें डीआईसी का आबंटन हो या जिसके साथ उसने संविदा पर हस्ताक्षर किये हों, अधिक भार क्षमता का उपयोग दीर्घ-कालिक पहुंच (एलटीए) के अधीन अनुमोदित निकासी की संगणना के लिए नहीं किया जाएगा ।"

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ढ) 'कार्यान्वयन अभिकरण (आईए)' से इन विनियमों के अधीन आज्ञापक अन्य कृत्यों या जो आयोग द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किय जाएं, के साथ-साथ आवेदन अवधि के लिए विभिन्न नोडों/जोनों पर पारेषण प्रभारों तथा पारेषण हानियों के आबंटन की संगणना करने के लिए आयोग द्वारा पदाभिहित अभिकरण अभिप्रेत है ।"

(4) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (म) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(म) 'वार्षिक पारेषण प्रभार (वाईटीसी)' से अधिनियम की धारा 62 के अधीन समुचित आयोग द्वारा अवधारित या अधिनियम की धारा 63 के अधीन समुचित आयोग द्वारा स्वीकार किया गया या इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, समझे गये आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारियों, दो राज्यों से जुड़ी अंतर-राज्यिक पारेषण लाइनों के स्वामियों और अंतर-राज्यिक ऊर्जा पारेषण के लिए प्रादेशिक ऊर्जा समितियों द्वारा प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों के स्वामियों के विद्यमान तथा नई पारेषण आस्तियों के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार अभिप्रेत है ।"

3. **मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनः**

(1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ज्ञ) में, "प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 वर्ष से अन्यून " शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"विनियम के खंड (1) के उपखंड (ठ) के प्रथम परंतुक के अनुसार, वाईटीसी के पुनरीक्षण से तीन मास पूर्व ।"

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ठ) के प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः-

" परंतु यह और कि वर्ष 2013-14 के लिए इंजेक्शन और मांग पीओसी प्रभारों के लिए तीन स्लैब दरें होंगी जिसके पश्चात वर्ष 2014-15 में आयोग द्वारा पुनर्विलोकन के आधार पर उनको सुव्यवस्थित किया जाएगा ।"

(3) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ण) के प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

" इस विनियम के खंड (1) के उपखंड (ठ) के परंतुक के अनुसार, जब कभी वाईटीसी का पुनरीक्षण किया जाता है, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा भार प्रवाह अध्ययन किया जाएगा।"

(4) मूल विनियम के विनियम 7 के उपखंड (1) के खंड (न) के प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"कार्यान्वयन अभिकरण, ₹/मेगावाट/मास में एक समान जोनल दर को तय करने की दृष्टि से, राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर जोनों को सृजित करने के लिए आईएसटीएस पर भौगोलिक रूप से और विद्युत रूप से संसक्त नोडों के लिए प्वाइंट ऑफ कनेक्शन प्रभारों को संकलित करेगा । कार्यान्वयन अभिकरण उत्पादन और मांग के लिए जोन सृजित करेगा । ऐसे जोन निम्नलिखित पर विचार करते हुए शासित होंगे:"

(5) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (न) के अधीन पैरा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"जोनों के भीतर नोडों को ऐसी रीति से मिलाया जाएगा मानो वे भौगोलिक रूप से तथा विद्युत रूप से समीपस्थ हों । मांग जोन राज्य की भौगोलिक सीमा में होंगे । "

(6) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (न) के अधीन, पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) 400 कि.वो. अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से सीधे जुड़े किसी भी अंतर-राज्यिक उत्पादन केंद्र को पृथक् जोन के रूप में माना जाएगा और पीओसी इंजेक्शन दर की संगणना के प्रयोजन के लिए, क्षेत्र में अन्य उत्पादक नोडों के साथ नहीं मिलाया जाएगा:

परंतु यह कि 400 कि.वो. अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़े राज्य में मर्चेंट ऊर्जा संयंत्र की दशा में, शून्य एलटीए या सीटीयू द्वारा प्रदत्त एलटीए के साथ संपूर्ण मर्चेंट क्षमता प्लस सीटीयू द्वारा प्रदत्त एलटीए पर पीओसी इंजेक्शन दर तय करने के लिए विचार किया जाएगा।"

(7) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (न) के पैरा (v) का लोप किया जाएगा ।

(8) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ध) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि वर्ष 2011-12 के लिए या ऐसी अवधि, जो अयोग समुचित समझे, के लिए प्रतिशतता में पारेषण हानियों हेतु स्लैब होंगे । "

(9) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ढ) और उपखंड (ण) में आने वाले " प्रभारों" शब्द के स्थान पर "दरें " शब्द रखा जाएगा ।

(10) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (त) में आने वाले "उपाबंध-1" शब्दों के स्थान पर "उपाबंध " शब्द रखा जाएगा ।

4. मूल विनियम के विनियम 10 का संशोधनः-

(1) मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (1) के अंतिम दो पैराओं के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"विनियम 10 (1) (क), 10 (1) (ख) और 10 (1) (ग) के आधार पर, आरपीसी सभी पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों, सीटीयू और अन्य आईएसटीएस पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूर्व मास हेतु प्रादेशिक ऊर्जा लेखा को जारी करने के अगले कार्य दिवस पर प्रादेशिक पारेषण लेखा जारी करेगा तथा उन्हें अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा ।

विनियम 10 ((1) (घ) के आधार पर, आरपीसी सभी पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों, सीटीयू और अन्य आईएसटीएस पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूर्व मास हेतु प्रत्येक मास के 15वें दिन तक प्रादेशिक पारेषण विचलन लेखा जारी करेगा तथा उसे संबंधित आरपीसी की बेबसाइट पर डाला जाएगा ।

5. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधन- मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (4), खंड (5) और खंड (7) के अधीन संगणना सूत्र में आने वाले "प्रभार" शब्द के स्थान पर, "दर " शब्द रखा जाएगा ।

6. मूल विनियम के उपाबंध का संशोधनः

(1) मूल विनियम के उपाबंध में "स्विच शंट आंकड़ा " शीर्ष के अधीन पैरा 2.1.2 (छ) के उप-पैराओं के स्थान पर एक नया उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2.1.3 वार्षिक पारेषण प्रभार":

(2) मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2 .7 के उप-पैरा 2 के अधीन स्टेप-4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

" स्टेप-4: तालचर-कोलार एचवीडीसी पारेषण लिंक के संपूर्ण वाईटीसी का वहन दक्षिणी क्षेत्र के डीआईसीएस द्वारा अपने पीओसी प्रभारों के स्केलिंग अप करके किया जाएगा । तथापि, ओडिशा राज्य के लिए तालचर-II स्टेशन से आबंटित शेयर हेतु पीओसी इंजेक्शन दर नई ग्रिड में हिस्सेदारी तंत्र के अनुसार तालचर-I स्टेशन की पीओसी इंजेक्शन दर होगीः

परंतु यह कि संपूर्ण देश के समक्रमिक रूप से जुड़ने के पश्चात, सभी एचवीडीसी प्रणालियों की लागत का वहन एचवीडीसी की लागत को सम्मिलित किये बिना संगणित वाईटीसी की स्केलिंग-अप करके, देश में सभी डीआईसीएस द्वारा किया जाएगा ।"

(3) मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2.7 के उप-पैरा 8 में, "प्रभारों " शब्द के स्थान पर "दरें" शब्द रखे जाएंगे ।

(4) मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2.7 के अंत में, निम्निलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"12. वर्ष 2011-12 या ऐसी अवधि, जो आयोग समुचित समझे, के लिए नये ग्रिड और दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड में प्रतिशतता पारेषण हानियों के लिए स्लैब होंगे "

(5) मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2 .8 और पैरा 2.8.1 में "प्रभार शब्द के स्थान पर "दर" शब्द रखा जाएगाः

(6) मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2.8.1 के अधीन सारणी को निम्नानुसार उपांतरित किया जाएगा, अर्थात्ः

विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों में जेडजेड जोन की संगणना

	पारेषण प्रभार (₹/मास)	अनुमोदित इंजेक्शन/अनुमोदित निकासी * (मेगावाट)	जोनल पारेषण दर (₹/मेगावाट/मास)
पीपी	45,00,000	250	70,000
एए	50,00,000		
केके	80,00,000		
जेड जेड-जोन	**1,75,00,000**	**250**	

* अनुमोदित इंजेक्शन/अनुमोदित निकासी (मेगावाट) सीईए उत्पादन और मांग आंकड़ा के आधार पर औसत परिप्रेक्ष्य के लिए दीर्घ-कालिक पहुंच होगी। अन्यथा, मूल विनियम के विनियम 7 (1) (ण) में उल्लिखित परिप्रेक्ष्यों के लिए, यह अनुमोदित इंजेक्शन/अनुमोदित निकासी होगी ।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/11]

टिप्पण.—मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 के क्रम सं. 162 में तारीख 16 जून, 2010 को प्रकाशित किए गए थे और मूल विनियमों के प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 के क्रम सं. 229 में तारीख 25 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित किए गए थे ।

1127 GI/12-2